Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

L.D. Case No - 61/2015

Pramod Kumar Jha.....Appellant

Versus

Ramanand Yadav.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.11.2025	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, अररिया द्वारा B.L.D.R Case No.-173/2012-13 में दिनांक-12.6.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। वाद पत्र के अनुसार प्रश्नगत जमीन का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
अररिया	ताराबाड़ी	422	208	1.04ए0

दिनांक-05.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उन्हें Title Suit No.-873/1962 में Judgment dated 08-9-1962 से प्राप्त मौरूसी जमीन है। तथा उनका जमाबंदी एवं शांतिपूर्ण दखल कब्जा रहा है। तथा यह कि विपक्षीगण की ओर से जमीन के शांतिपूर्ण उपभोग पर बाधा उत्पन्न किये जाने के आलोक में उनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में B.L.D.R वाद संख्या-173/2012-13 दायर किया गया। उनका कहना है कि उक्त वाद में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के स्तर से अनियमित रूप से आदेश पारित किया गया है। सुनवाई में वाद को दिनांक-02.7.2014 को आदेश पर रखा गया था, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक-12.6.2014 को अन्यत्र कारणों से अंतिम आदेश पारित किया गया। अंतिम आदेश में प्रश्नगत भूमि से संबंधित 48E वाद संख्या-116/13-14 प्रक्रियाधीन रहने का उल्लेख किया गया है किन्तु किसी भी पक्ष की ओर से इस आशय का अभिकथन दाखिल नहीं किया गया था। जो LCR के अवलोकन से स्पष्ट होता है। अपीलार्थी की ओर से तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए उनके पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी रामानन्द यादव की ओर से जवाब दाखिल है। सुनवाई की कई तिथियों में अंतरिम आदेश (दिनांक-15.4.2025/09.7.2025/22.7.2025/19.8.2025) पारित किये जाने के बावजूद भी विपक्षी की ओर से उपस्थित होकर Final बहस नहीं किया गया। विपक्षी के जवाब/Rejoinder के अनुसार उक्त जमीन अपीलार्थी की मौरूसी जमीन है। विपक्षी का दावा है कि उक्त जमीन को मौखिक रूप से उनके पिता धनलाल यादव को बिक्री किया गया था। तथा जिसके उपरांत उनका दखल कब्जा एवं Cultivation रहा है। उनका यह भी कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में बटाईदारी वाद संख्या-116/2013-14 लंबित रहने के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। जो विधिसम्मत है।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	13.11.2025	उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उक्त प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी की मौरूसी जमीन है। Title Suit No.-873/1962 में Judgment dated 08-9-1962 के आलोक में अपीलार्थी का प्रश्नगत जमीन पर Legal Rights Establish होता है। विपक्षीगण की ओर से स्वयं Admit किया गया है, कि अपीलार्थी की ओर से मौखिक रूप से उन्हें जमीन बिक्री किया गया है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः तदआलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए इस Case को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया Remand back करते हुए आदेश दिया जाता है कि सभी पक्षों को विधिवत सुनकर एक माह के अंदर सकारण आदेश से इस वाद का निस्तार करेंगें। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। Rajeev K. 13/11/25. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Rajeev K. 13/11/25. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	